[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 49/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. ..... (अ)--केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले मालों को जब उनका भारत में पश्चातवर्ती विक्रय के लिए आयात किया जाए, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान करती है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट तब दी जाएगी जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :--

(क) उक्त मालों का आयातकर्ता सभी शुल्कों का संदाय करेगा जिसके अंतर्गत उन पर मालों के आयात के समय यथा लागू उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क है;

(ख) आयातकर्ता उक्त मालों के विक्रय के लिए बीजक जारी करते समय बीजक में विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करेगा कि उसके अधीन आने वाले मालों के संबंध में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क के लिए कोई प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं होगा;

(ग) आयातकर्ता आयातित मालों पर संदत्त उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के प्रतिदाय के लिए दावा अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क अधिकारी के पास करेगा;

(घ) आयातकर्ता उक्त मालों के विक्रय पर, यथास्थिति, समुचित विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का संदाय करेगा;

(ङ) आयातकर्ता, अन्य बातों के साथ, प्रतिदाय के दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा:-

(i) उक्त अतिरिक्त शुल्क के संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज;

(ii) आयातित मालों के विक्रय के बीजक, जिनके संबंध में उक्त अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया गया है;

(iii) आयातकर्ता द्वारा ऐसे आयातित मालों के विक्रय पर, यथास्थिति, समुचित विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज ।

स्पष्टीकरण--केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले माल, पश्चातवर्ती विक्रय के लिए भारत में जब उनका आयात किया जाता है और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन 30 जून, 2017 को या उससे पूर्व प्रवेश पत्र फाइल किया गया है, इस अधिसूचना के अधीन भी इस अधिसूचना की शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए छूट के लिए पात्र होंगे ।

3. अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क अधिकारी स्वयं का यह समाधान होने पर कि पूर्वोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया गया है, प्रतिदाय को मंजूर करेगा ।

4. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार